पोक्सो एक्ट के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को थाना थराली पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनांक 15/12/2023 को वादी द्वारा कोतवाली नगर देहरादून में तहरीर दी गयी कि उनके ट्रस्ट में निवासरत नाबालिग उम्र-16 वर्ष के साथ थराली क्षेत्र में रहते हुए अभियुक्तगण द्वारा यौन शोषण किया गया। जिसपर कोतवाली नगर देहरादून में निल में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल थाना थराली जनपद चमोली का होने के कारण उक्त अभियोग थाना थराली स्थानांतरित किया गया। जिसपर थाना थराली में मु0अ0सं0 02/2024 धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रकरण नाबालिग/महिला संबंधी एवं गंभीर प्रवृत्ति का होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती रेखा यादव (IPS) महोदया द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। गठित पुलिस टीम द्वारा कुशल सुरागरसी-पतारसी करते हुए दिनांक 21/01/2024 को अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह निवासी ग्राम लोल्टी थाना थराली को गिरफ्तार किया गया।

स्वागतम्
थाना·थराली